लोकसुनवाई का विवरण

04

विषय :– **ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण म.न. 5196, बी.टी.आई. कॉलेज के पीछे, शंकर नगर, रायपुर (परियोजना का पत्र प्राप्त दिनांक 05.02.2019 के अनुसार पत्राचार का पता भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई– धमतरी, ब्लॉक– एफ–5, शिवराज ग्रीन्स, सिहावा रोड, धमतरी) द्वारा दुर्ग–रायपुर सेक्शन ऑफ एनएच–53 (मुम्बई–कोलकत्ता इकोनोमिक कॉरीडोर) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 05.02.2019 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।**

मेसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण म. न. 5196, बी.टी.आई. कॉलेज के पीछे, शंकर नगर, रायपुर (परियोजना का पत्र प्राप्त दिनांक 05.02.2019 के अनुसार पत्राचार का पता भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई– धमतरी, ब्लॉक– एफ–5, शिवराज ग्रीन्स, सिहावा रोड, धमतरी) द्वारा दुर्ग–रायपुर सेक्शन ऑफ एनएच–53 (मुम्बई–कोलकत्ता इकोनोमिक कॉरीडोर) के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु लोक सुनवाई कराने बाबत् छ. ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर, रायपुर में आवेदन किया गया था। नवभारत, पत्रिका एवं टाईम्स ऑफ इंडिया (दिल्ली संस्करण) समाचार पत्र में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित करवाई जाकर दिनांक 05.02.2019 मंगलवार को समय प्रातः 11:00 बजे से कलेक्टोरेट सभागृह, रायपुर (छ.ग.) में नियत की गई थी। जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायतों को प्रेषित की गई थी।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी डॉ. रेणुका श्रीवास्तव की अध्यक्षता में प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् लोक सुनवाई दिनांक 05 फरवरी 2019 को सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान डॉ. एस. के. उपाध्याय, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण सरंक्षण मंडल, रायपुर एवं लगभग 70 लोग उपस्थित थे। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. लोक सुनवाई प्रकिया की कार्यवाही प्रातः 11:00 बजे प्रारंभ की गई।
2. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रकिया आरंभ की गई। जिन लोगों ने उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये हैं, तत्संबंध में उपस्थिति पत्रक संलग्नक–01 अनुसार है।
3. डॉ. एस. के. उपाध्याय, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण सरंक्षण मंडल, रायपुर ने प्रस्तावित परियोजना की लोक सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी से लोक सुनवाई प्रारंभ करने का निवेदन किया।
4. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी डॉ. रेणुका श्रीवास्तव ने प्रस्तावित परियोजना हेतु लोक सुनवाई आरंभ करने की घोषणा की तथा परियोजना प्रस्तावक को परियोजना के संबंध में जानकारी देने हेतु निर्देशित किया।
5. श्री भूपेन्द्र मान श्रेष्ठा एवं श्री अनूप कुमार चौधरी (परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार) ने परियोजना के संबंध में प्रस्तावना के अंतर्गत बताया कि भारत सरकार के द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत् भारत में माल ढुलाई के बेहतर संचरण करने के लिए इकोनोमिक कॉरिडोर, इंटर कॉरिडोर, फीडर रूट्स एवं नेशनल कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा दुर्ग रायपुर सेक्शन का निर्माण किया जाना है, जो कि (राष्ट्रीय राजमार्ग 53)– मुम्बई–कोलकत्ता इकोनोमिक कॉरिडोर (लॉट 3/पैकेज–1) का एक हिस्सा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
रायपुर

मंत्रालय (भारत सरकार) ने प्रस्तावित परियोजना को फाइल संख्या 10-72/2018-IA.III दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 के तहत् टर्म्स ऑफ रिफरेन्स जारी किया है। अतः निर्धारित नियमों के अनुसार, आज सार्वजनिक लोक सुनवाई की जा रही है। परियोजना के विवरण अंतर्गत परियोजना, मौजूदा चैनेज 329+400 कि.मी. (डिजाइन चैनेज 0+000 कि. मी.) राजनांदगांव जिले के टेडेसरा के पास से शुरू होती है, और मौजूदा चैनेज 229+730 कि.मी. (डिजाइन चैनेज 92+230 कि.मी.) रायपुर जिले के आरंग के पास समाप्त होता है। यह मुंबई कोलकाता इकोनोमिक कॉरिडोर (लॉट 3/पैकेज–1) का एक हिस्सा है जिसकी कुल लंबाई 92.200 कि.मी. है। प्रस्तावित परियोजना छत्तीसगढ़ के तीन जिलों 'राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर' से गुजरती है। परियोजना राजनांदगांव, दुर्ग, पाटन, अभनपुर और आरंग तहसील से गुजरती है। प्रस्तावित परियोजना का राइट ऑफ वे (आर.ओ.डब्ल्यू) न्यूनतम 70 मीटर है। प्रस्तावित सड़क किसी वन क्षेत्र से नही गुजर रही है। परियोजना के 10 किलोमीटर के दायरे में कोई ईको–सेंसिटिव क्षेत्र मौजूद नही है। परियोजना के लिए करीब 746.614 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित करने का प्रस्ताव है। अध्ययन क्षेत्र में लैंडयूज पैटर्न मुख्य रूप से कृषि भूमि, पड़त भूमि एवं शासकीय भूमि है। स्थान मानचित्र, मुख्य मानचित्र, गुगल मानचित्र प्रदर्शित किये गये। मुख्य विशेषताओं के बारे में जानकारी देते हुए प्रोजेक्ट डिजाइन विशेषताओं के अंतर्गत प्रस्तावित सड़क 4–लेन विभाजित कैरेजवे है 9.00×2 मीटर और प्रोजेक्ट हाईवे के लिए प्रस्तावित RoW न्यूनतम 70 मीटर है। मीडियन की चौड़ाई 4 मीटर होगी। परियोजना में एवेन्यू प्लांटेशन एवं मीडियन प्लांटेशन किया जाएगा। प्रस्तावित हाईवे 2 नदियों (खारून एवं शिवनाथ नदी) से होकर गुजरेगा। परियोजना में 6 प्रमुख पुल, 27 छोटे पुल, 167 पुलिया, 2 आर. ओ.बी., 4 आर.यू.बी., 2 फ्लाईओवर, 1 क्लोवरलीफ इंटरचेंज, 3 ट्रम्पेट इंटरचेंज और 39 अंडरपास प्रस्तावित की गई है। सड़क निर्माण के दौरान दस लाख मीट्रिक टन फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाना है। परियोजना में बारिश के पानी का संग्रहण एवं संचयन की व्यवस्था प्रस्तावित है। पर्यावरण के विवरण के संबंध में प्रस्तावित परियोजना के लिए बेसलाइन अध्ययन, मार्च से अप्रैल, 2018 को प्रस्तावित राजमार्ग के दोनों तरफ 500 मी. के क्षेत्र में किया गया। बेसलाइन अध्ययन के लिए 10 स्थानों पर (टेडेसरा, चंदखुरी, हनोदा, पुराई, सेलूद, देवादा, पलौद–2, पाछेड़ा–2, कुर्रू एवं पारागांव–1) प्रति सप्ताह दो दिनों की आवृत्ति पर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी की गई। नियामक मानदंडो (NAAQS) के अनुसार, पी.एम.10 का 24 घंटे का औसत मूल्य 100 $\mu g/m^3$ से अधिक नही होना चाहिए। पी.एम.10 का मूल्य 59.8 $\mu g/m^3$ से 85.6 $\mu g/m^3$ के बीच पाया गया, जो कि निर्धारित सीमा के भीतर है। नियामक मानदंडो (NAAQS) के अनुसार, पी.एम.2.5 का 24 घंटे का औसत मूल्य 60 $\mu g/m^3$ से अधिक नही होना चाहिए। पी.एम.2.5 का मूल्य 27.4 $\mu g/m^3$ से 49.9 $\mu g/m^3$ के बीच पाया गया, जो कि निर्धारित सीमा के भीतर है। नियामक मानदंडो (NAAQS) के अनुसार, एस.ओ.2 का 24 घंटे का औसत मूल्य 80 $\mu g/m^3$ से अधिक नही होना चाहिए। एस.ओ.2 का मूल्य 7.1 $\mu g/m^3$ से 21.9 $\mu g/m^3$ के बीच पाया गया, जो कि निर्धारित सीमा के भीतर है। नियामक मानदंडो (NAAQS) के अनुसार, एन. ओ.2 का 24 घंटे का औसत मूल्य 80 $\mu g/m^3$ से अधिक नही होना चाहिए। एन.ओ.2 का मूल्य 18.9 $\mu g/m^3$ से 39.8 $\mu g/m^3$ के बीच पाया गया, जो कि निर्धारित सीमा के भीतर है, बताया गया। पर्यावरण के वर्णन अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के लिए बेसलाइन

अध्ययन, मार्च से अप्रैल, 2018 को प्रस्तावित राजमार्ग के दोनों तरफ 500 मीटर के क्षेत्र में किया गया। बेसलाइन अध्ययन 10 स्थानों पर (टेडेसरा, चंदखुरी, हनोदा, पुराई, सेलूद, देवादा, पलौद–2, पाछेड़ा–2, कुर्रू एवं पारागांव–1) की गई। Leq दिन और Leq रात के मूल्य निर्धारित सीमा के भीतर पाए गए। भविष्य के यातायात का अनुमान लगाने के लिए चार स्थानों पर (परियोजना के शुरूआती बिन्दु से दुर्ग बाईपास अंत तक, दुर्ग बाईपास से टाटीबंध जंक्शन तक, टाटीबंध जंक्शन से तेलीबांधा जंक्शन एवं तेलीबांधा जंक्शन से परियोजना के आखिरी बिन्दु तक) ट्रैफिक अध्ययन किया गया। अनुमानित यातायात 17144 PCU के लिए चार लेन सड़क का निर्माण प्रस्तावित किया गया है, बताया गया। पर्यावरण के वर्णन अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के लिए बेसलाइन अध्ययन, मार्च से अप्रैल, 2018 को प्रस्तावित राजमार्ग के दोनों तरफ 500 मीटर के क्षेत्र में किया गया। मिट्टी एवं भूजल के बेसलाइन अध्ययन के लिए 10 स्थानों पर (टेडेसरा, चंदखुरी, हनोदा, पुराई, सेलूद, देवादा, पलौद–2, पाछेड़ा–2, कुर्रू एवं पारागांव–1) किया गया। सतही जल के नमूने 5 स्थानों (पिसेगांव, झांकी, पछेड़ा–2, चरौदा–2 एवं बेलसोंधा) पर एकत्रित किये गए। सतही जल और भूजल अध्ययन के परिणाम बताते है कि मूल्य स्वीकार्य सीमा के भीतर है। पी.एच. का मान 7.97 से 8.65 के बीच पाया गया। नमी की मात्रा 4.63 से 24.54 % के बीच पाई गई। नमूनों की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 162 से 342 mhos/cm के बीच पाया गया, बताया गया। पर्यावरण के वर्णन अंतर्गत परियोजना के 10 कि.मी. के दायरे में कोई इकोसेंसिटिव क्षेत्र मौजूद नही होने, निकटतम अभ्यारण्य बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो सड़क के अंतिम बिन्दु से 30 कि.मी. से अधिक दूरी पर स्थित होने, प्राकृतिक वनस्पति में बरगद, जामुन, अंजीर, ताड़, साल, अमलतास, सागवान, इमली, आम, बेर, सागौन, महुआ, नीम, पीपल, अर्जुन, कदम्ब और कई प्रजाति के पेड़ शामिल होने, प्रस्तावित परियोजना स्थल में आने वाले गांवो की औसत साक्षरता दर लगभग 78.12 प्रतिशत होने, पुरूषों में साक्षरता दर 87.41 प्रतिशत होने और महिलाओं में साक्षरता दर 68.75 प्रतिशत होने, जिसमें लैंगिक अंतर 18.66 प्रतिशत का होने, अध्ययन क्षेत्र की कार्य सहभागिता दर 44.09 प्रतिशत है, जिसमें पुरूष 54.98 प्रतिशत और महिलाएं 33.06 प्रतिशत हैं, जिसमें लैंगिक अंतर 21.92 प्रतिशत का है। कुल श्रमिकों में 70.19 प्रतिशत मुख्य श्रमिक हैं और बाकी 29.81 प्रतिशत सीमांत श्रमिक है। प्रस्तावित ग्रीनफील्ड परियोजना की 92.2 कि.मी. में मात्र 57 संरचनाएं प्रभावित होगी, बताया गया। स्थानीय समुदायों के साथ सार्वजनिक परामर्श के बारे में जानकारी दी गई। पर्यावरण पर प्रभाव की जानकारी देते हुए शमन के उपाय अंतर्गत जल का छिड़काव एवं तिरपाल द्वारा रेत और अन्य निर्माण सामग्री को ढ़कना। धूल को कम करने हेतु प्रदूषण मास्क की व्यवस्था, पानी के नियमित छिड़काव जैसे उपायों को लागू करना। निर्माण दल के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पी.पी.ई.) का प्रावधान। परियोजना के आसपास के क्षेत्र में ग्रीनबेल्ट का विकास। कर्मचारियों द्वारा उत्पन्न सीवेज के सफाई के लिए सेप्टिक टैंक अथवा बायो टॉयलेट स्थापित किया जायेगा, परियोजना में ढ़लानों की स्थिरता हेतु टर्फिंग, गिओमेम्ब्रेन एवं स्टोन पिचिंग किया जायेगा, परियोजना में वैज्ञानिक तरीके से उत्खन्न किया जायेगा एवं नियमित तौर पर जल का छिड़काव भी किया जायेगा साथ ही मिट्टी का उपयोग न्यूनतम करने हेतु फ्लाई ऐश का उपयोग प्रस्तावित है, बताया गया। परियोजना के लाभ अंतर्गत छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हब से बेहतर

कनेक्टिविटी, बेहतर और उपयुक्त सुविधाओं के लिए तेजी से विकास, तेज और सुरक्षित कनेक्टिविटी जिसके परिणामस्वरूप ईंधन, यात्रा समय और कुल परिवहन लागत में बचत होगी, दुर्घटनाओं में कमी, चिकित्सा और शैक्षिक सेवाओं के लिए बेहतर दृष्टिकोण, फलों, सब्जियों और डेयरी उत्पादों जैसे सामानों का तेज परिवहन, स्थानीय कृषि और हस्तशिल्प का विकास, पर्यटन और तीर्थाटन का विकास, मार्ग पर नए व्यवसायों और व्यापार के अवसर, सभी कुशल, अर्ध–कुशल और अकुशल लोगों को अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रोजगार का अवसर, लोगों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता एवं तेजी से औद्योगिकीकरण और दूर के बाजारों तक पहुंचने के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों के विकास के बारे में बताया गया।

तत्पश्चात उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रक्रिया आरंभ की गई, विवरण निम्नानुसार है :–

1. जुगुत राम (ग्राम–बकतरा) ने कहा कि जमीन रोड में आ रही है। इसलिए कलेक्ट्रेट आ गया था।

2. श्यामलाल (ग्राम–खपरीकला) ने कहा कि आधारकार्ड सुधरवाने आया था।

अंत में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी डा0 रेणुका श्रीवास्तव द्वारा सुझाव एवं आपत्ति होने पर मौखिक एव लिखित सूचना देने हेतु कहा गया। यह लोक सुनवाई दोपहर लभगभ 12:00 बजे समाप्त हुई। लोक सुनवाई के दिवस 14 लिखित अभ्यावेदन प्राप्त हुये। संपूर्ण लोक सुनवाई की विडियोग्राफी की गई।

(डा0 रेणुका श्रीवास्तव)
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला–रायपुर (छ.ग.)